भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1107

उत्तर देने की तारीख : 29-07-2015

वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा

1107. श्री बी॰ के॰ हरिप्रसादः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वनों में रहने वाले समुदायों को अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अपेक्षित लाभ प्रदान किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने जनजातियों को वनों से निष्कासित करने तथा लघु वन उत्पादों के संबंध में

अधिकार देने से मना करने पर गौर किया है, यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में प्राप्त/दर्ज शिकायतों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और इस संबंध में की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन

की आवधिक समीक्षा हेतु क्या प्रणाली विकसित की है और इस संबंध में की गई समीक्षाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा दावों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री मनसुखभाई धांजीभाई वसावा)

(क) : अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए)) के अनुसार इस अधिनियम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों से 31 मई, 2015 तक प्राप्त सूचना के अनुसार 43,63,114 दावे (42,51,118 व्यष्टिगत, 1,07,182 सामुदायिक तथा 4814 सीएफआर दावे) दायर किए गए हैं तथा 16,54,431 अधिकार पत्र (16,17,016 व्यष्टिगत, 35,267 सामुदायिक तथा 2148 सीएफआर दावे) संवितरित किए गए हैं। कुल 35,15,269 (80.57%) दावे निपटा दिए गए हैं।

(ख) : बाघ संरक्षण (रिजर्व) सहित विशेष रूप से राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारण्यों से जनजातीय लोगों के पुर्स्थापन और लघु वन उत्पाद (एमएफपी) पर अधिकारों के नकारने की घटनाओं की सूचना दी गई है। मंत्रालय ने परामर्शों और समीक्षा बैठकों में स्पष्टीकरण के साथ-साथ के दौरान लिखित स्पष्टीकरण दिए हैं कि वन अधिकार अधिनियम किसी वन भूमि में लघु वन उत्पाद पर वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के स्वामित्व के अधिकारों को मान्यता देता है। शिकायतों की संख्या के ब्यौरे इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं/नहीं रखे जाते।

(ग) तथा (घ) : इस मंत्रालय द्वारा वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वनय की निगरानी मासिक प्रगति रिपोर्टों (एमपीआर) तथा तिमाही प्रगति रिपोर्टों (क्यूपीआर) के माध्यम से की जाती है। मंत्रालय देश के अलग-अलग भागों में परामर्श आयोजित करके, जब भी आवश्यक हो संदेहों को स्पष्ट करके राज्य सरकारों को सहायता भी प्रदान करता है। सरकार ने अभियान के रूप में वन अधिकार अधिनियम को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार, राज्यों को अभियान पर विस्तृत समर्थन दिया गया है और वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में तेजी लाने की सलाह दी गई है। प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है तथा इस मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाती है।

\*\*\*\*